

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1981/फाल्गुण 9, 1902
No. 86] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1981/PHALGUNA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

धर्म मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1981

क्रा०अ० 136 (ख) —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)
की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा 1 मार्च, 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उस अधिनियम
के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय
5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले
ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध पंजाब, राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

“जिला फिरोजपुर में

राजस्व ग्राम आज़मगढ़ हव बस्त नं० 110

और

राजस्व ग्राम शेखीत हव बस्त नं० 156.”

[संख्या एस-38013/4/81-एच०आर्ह०]

एत० बी० चावला, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1981

S.O. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st March, 1981 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Punjab, namely :—

“Revenue Village Azamgarh Had Bast No. 110 and revenue village Sheikhon had Bast No. 156 in the District of Ferozepur.”

[No. S-38013/4/81-HI]

N. B. CHAWLA, Dy. Secy.